



Neutral Citation No. - 2026:AHC:13334

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 494 सन् 2026

संजय कुमार सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 7 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अजय कुमार पाल, विक्रान्त प्रताप सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री विक्रान्त प्रताप सिंह ने निवेदन किया कि यद्यपि याचिकाकर्ता ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, फिर भी कुशीनगर के जिला मजिस्ट्रेट और जिला विकास अधिकारी द्वारा 17.11.2025 और 28.11.2025 को याचिकाकर्ता से अधिभार वसूलने के आदेश पारित किए गए हैं। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि याचिकाकर्ता जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपील दायर करेंगे, बशर्ते उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाए।

2. बार में प्रस्तुत दलीलों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह संबंधित सक्षम प्राधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर के समक्ष 30.01.2026 तक अपील दायर करे। इस अपील पर, जिला मजिस्ट्रेट दो महीने की अवधि के भीतर अपील का निर्णय करेंगे।

3. अपील दाखिल होने तक, यानी 30.01.2026 तक, याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी और याचिकाकर्ता को स्थगन आवेदन दाखिल करने की छूट होगी, जिस पर उसके बाद 15 दिनों के भीतर विचार किया जाएगा।

20 जनवरी, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version Not For Legal Use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।